श्री अभिषेक रंजन, माननीय स°वि°स°/ श्री सुरेन्द्र प्रसाद, माननीय स°वि°स°/ श्री फैसल रहमान , माननीय स°वि°स°/ श्री मनोज विश्वास, माननीय स°वि°स° एवं श्रीमती करिश्मा, माननीया स°वि°स° से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-05/2026 का उत्तर प्रतिवेदन

वर्ष 1978 में पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत सिकरहना बाँध निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया था, परंतु उस समय किसी कारणवश उक्त भूमि पर बाँध का निर्माण नहीं हो सका और नए रिंग बाँध का निर्माण किया गया। उस दौरान कुछ प्रभावित लोगों को तत्कालीन दर पर मुआवजा दिया गया, जबकि कुछ प्रभावित परिवारों को आज तक कोई मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ। अब लगभग 48 वर्षों बाद अधिग्रहित भूमि पर नया प्रस्तावित बाँध का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में बाँध क्षेत्र पर बड़ी संख्या में लोगों के पक्के आवास निर्मित हैं, जो उनके जीवन-यापन का एकमात्र साधन हैं। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि चनपटिया नगर पंचायत में एक ओर पूर्व से निर्मित रिंग बाँध तथा दूसरी ओर रेलवे लाइन से घिरी हुई है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित नए बाँध के निर्माण से चनपटिया नगर पंचायत बरसात के पानी से टापू बनने की आशंका उत्पन्न हो गई है। इससे क्षेत्र में जल निकासी बाधित होगी तथा धान की खेती सहित कृषि भूमि को भारी क्षति पहुँचने की संभावना है। वर्तमान में उपलबध नालियों से प्रभावी जल निकासी संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, सिकरहना नदी पर पूर्व से निर्मित रिंग बाँध के जर्जर होने के कारण घोघा, बरवा सेमरा घाट, हरपुर गढ़वा, रामपुरवा महानवा, डुमरी तथा तिरवाह क्षेत्र सहित कई गाँवों में नदी कटाव एवं जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। और हर वर्ष फ्लड फाईटिंग के नाम पर सरकारी धान का बंदरबांट होता है।

अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या सरकार उन परिवारों को मुआवजा प्रदान करेगी, जिन्हें पूर्व में कोई मुआवजा नहीं मिला है, तथा जिन्हें 48 वर्ष पूर्व मुआवजा दिया गया था, जो वर्तमान के समय से ना के बराबर है। उन्हें वर्तमान दर या उचित सहायता राशि देने का विचार रखती है? क्या बाँध निर्माण के दौरान किसानों की कसलों को हुई क्षति के लिए सरकार कृषि मुआवजा देने पर विचार करेगी? क्या चनपटिया नगर पंचायत को टापू बनने से बचाने के लिए प्रस्तावित बाँध निर्माण पर पुनर्विचार किया जाएगा अथवा पूर्व से निर्मित रिंग बाँध की मरम्मत एवं बोल्डर पिचिंग से सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा, ताकि नगर पंचायत एवं कृषि क्षेत्र सुरक्षित रह सके? क्या सिकरहना नदी पर स्थित पुराने रिंग बाँध के सुदृढ़ीकरण तथा नदी कटाव से प्रभावित गाँवों की सुरक्षा हेतु सरकार ठोस एवं स्थायी व्यवस्था करेगी?

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1978-79 में सिकरहना दायां तटबंध निर्माण हेतु पश्चिम एवं पूर्वी चम्पारण जिलों में लगभग 563.23 एकड़ भूमि का किया गया। साथ ही चनपटिया नगर पंचायत के सुरक्षार्थ वर्ष 1980 में 2.10 कि.मी. की लम्बाई में रिंग बांध का निर्माण कराया गया था।

वर्ष 1978-79 में अधिग्रहित भूमि के अधिकांश भूधारियों को तत्समय मुआवजा दिया गया है एवं कतिपय भू-धारियों रैयतों द्वारा मुआवजा प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में मुआवजा की राशि संबंधित कोषागार में जमा करा दी गयी थी।

वर्तमान मे निर्माणाधीन तटबंध के संरेखण में अवस्थित पक्के मकानों को हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। निर्माणाधीन सिकरहना दायाँ तटबंध (56.22 कि. मी.) पूर्व से निर्मित चनपटिया रिंग बांध से 1.40 कि.मी. चेनेज पर जुड़ते हुए निम्न प्रवाह भाग से प्रारंभ होकर मोतिहारी प्रखंड के कटहॉ ग्राम में पूर्व से निर्मित बांध में मिल जाएगा। सिकरहना दायां तटबंध का निर्माण विस्तृत सर्वेक्षणोंपरान्त किया जा रहा है, जिसमें 13 अदद बाढ़ निरोधक फाटक का प्रावधान किया गया है, साथ ही चनपटिया रिंग बांध में जल निकासी हेतु 03 अदद एंटी फ्लड स्लूईस गेट पूर्व से निर्मित है जिसके फलस्वरूप चनपटिया नगर के टापू बनने के कोई संभावना नहीं है।

निर्माणाधीन सिकरहना बांध के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण भू-अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्ण किया जा चुका है एवं अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व जल संसाधन विभाग को पूर्व के वर्षों से ही प्राप्त है इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान दर पर भू-अर्जन भुगतान अथवा फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा भुगतान का मामला नहीं बनता है।

पश्चिम चम्पारण जिला के चनपटिया प्रखंड में घोघा तथा मझौलिया प्रखंड में बरवा, सेमरा घाट, हरपुर गढ़वा, रामपुरवा, महानवा डुमरी तथा तिरवाह गाँव सिकरहना नदी के दायें तट पर बसे हुये है।

सभी स्थल वर्तमान में सुरक्षित है। बाढ़ अवधि में कटाव की स्थिति में आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित रखा जाता है। साथ ही चनपटिया रिंग बांध पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

P.T.O

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0ध्याना0(मुज0)–01–14 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–306 दिनांक–21.06.2026 के प्रसंग में ध्यानाकर्षण सूचना सं0–05 / 26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0ध्याना0(मुज0)–01–14 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0ध्याना0(मुज0)–01–14 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0ध्याना0(मुज0)–01–14 / 2026– 2255 पटना, दिनांक– 21/05/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21.05.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
20.05.26